आज़ादी का अमृत महोत्सव

# कार्यालय
# वन मण्डल विदिशा

ई–मेल. dfotvidisha@mp.gov.in, दूरभाष– 07592- 232967, फैक्स– 236976

क्रमांक / मा0चि0 / 4614 विदिशा, दिनांक 15 / 12 / 2023

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग संभाग विदिशा,

**विषयः–** विदिशा जिलें में लटेरी–मुंडेला–नजीराबाद मार्ग के पुर्ननिर्माण / उन्नयनीकरण हेतु 7.110 हेक्टेयर वनभूमि(पूर्व में आवेदित 8.270हेक्टेयर) लोक निर्माण विभाग,विदिशा को उपयोग पर देने बावत्।

**संदर्भ** :–1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्र0 / 6–एमपीसी 064 / 2023–बीएचओ / दिनांक 06 / 12 / 2023।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र. / एफ–5 / 1077 / 2021 / 10–11 / 5187 दिनांक 06 / 12 / 2023।

---oo---

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक / 6–एमपीसी 064 / 2023–बीएचओ दिनांक 06 / 12 / 2023। से वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 के तहत प्रथम चरण की सैद्वातिक सहमति(ए–1से 13 तथा बी–1 से 16 तथा पैरा से) प्राप्त हुयी है जिसके अनुसार :–

अधिरोपित शर्त क्रमांक ए–1 के तहत 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु परिक्षेत्र सिरोंज अंतर्गत तहसील सिरोंज क ग्राम जगथर खसरा क्रमांक 69 / 1 / 15 रकबा 10.448 हे0 में से वनविभाग को आवंटित / हस्तांतरित की गयी 8.270 हेक्टेयर गैर वनभूमि पर क्षतिपूति वनीकरण हेतु 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राशि रूपये 48,82,217 / –(अठातालीस लाख बियासी हजार दो सौ सतरह) की राशि का भुगतान ऑनलाईन भारत सरकार,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई पोर्टल फारेस्ट क्लियरेन्स की वेवसाईट (https;//parivesh.nic.in/) पर केम्पा मद में ही किया जाना है।

शर्त क्रमांक ए–3 में प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत आरक्षित अथवा संरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना के प्रारूप में वन परिक्षेत्र अधिकारी सिरोज को आवश्यक सहयोग करे ताकि अधिसूचना का प्रारूप अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन भू–अभिलेख)भोपाल को पालन प्रतिवेदन के साथ प्रेषित किया जा सके।

शर्त क्रमांक ए–4 के अनुसार नेट प्रेजेन्ट वेल्यू की **संशोधित** राशि म.प्र.शासन वन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 12 सितम्बर 2008 तथा भारत सरकार,पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय(वन संरक्षण प्रभाग)नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06 / 01 / 2022 के अनुसार रूपये **91,92,164 / –(इक्यानवे लाख बयानवे हजार एक सौ चौसठ रूपये मात्र)**की राशि का भुगतान ऑनलाईन भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई पोर्टल फारेस्ट क्लियरेन्स की वेवसाईट (https;//parivesh.nic.in/) पर केम्पा मद में ही किया जाना है।

शर्त क्रमांक ए–6 के अनुसार वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चय की कार्यवाही पूर्ण होने संबंधी निर्धारित प्रारूप पत्र (FRA)कलेक्टर विदिशा द्वारा जारी प्रमाण पत्र देवे।

समस्त अधिरोपित शर्तो का शर्तवार पालन प्रतिवेदन टेबूलर फार्म में 4 प्रतियो में सील हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।साथ ही पालन प्रतिवेदन ई पोर्टल (https;//parivesh.nic.in/) पर अपलोड करे। वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि एवं नेट प्रेजेन्ट वेल्यू की राशि कैम्पा मद मे जमा की राशि की छायाप्रति सील हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अवश्य देवे।

वन मंडलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल,विदिशा

पृ0 क्रमांक / मा0चि0 / विदिशा, दिनांक / 12 / 2023

**प्रतिलिपि** :–1 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू0प्र0) म0प्र0 भोपाल की ओर आपके पत्र / क्रमांक / एफ–5 / 1077 / 20 21 / 10 –11 / 5187 दिनांक 06 / 12 / 2023 के संदर्भ में सूचनार्थ संप्रेषित।

2 मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3 उप वनमंडल अधिकारी सिरोंज ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4 वन परिक्षेत्र अधिकारी लटेरी दक्षिण एवं उत्तर की ओर लेख है जब तक प्रकरण में भारत सरकार की अंतिम चरण की स्वीकृति जारी नही की जाती तब तक आवेदक संस्थान को कोई कार्य प्रारंभ न करे इसका विशेष ध्यान रखे।

5 वन परिक्षेत्र अधिकारी–सिरोंज की ओर लेख है अधिसूचना का प्रारूप शीघ्र तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करे जिसे पालन प्रतिवेदन के साथ वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा सके।

वन मंडलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल,विदिशा